मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 331/NR-10 भोपाल, दिनांक ~~13/01/2014~~ 6/1/14

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला पंचायत ..... (समस्त)
   मध्यप्रदेश

विषय :– जिला सहकारी बैंकों स्थित खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर व्यवस्था लागू करने बाबत।

———0———

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के तत्वाधान मे अपेक्स बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों को आईएफएस कोड आवंटित किये गये हैं। अतः जिला सहकारी बैंकों स्थित खातें एनईएफटी सिस्टम अंतर्गत सीधे इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर सिस्टम से जुड़ गये हैं। इस व्यवस्था में सहकारी बैंक स्थित खाते 12 अंकों के हो गये है। सहकारी बैंक की एनईएफटी अंतर्गत सीधे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था का सफल परीक्षण सीहोर जिले के जनपद पंचायत इछावर में किया जा चुका है।

उपरोक्त व्यवस्था को पूरे प्रदेश में अधिकतम 15 जनवरी 2014 तक लागू की जाना है, जिससे कि मजदूरों के खातों में राशि अविलंब भुगतान किया जा सके। अतः जिले एवं जनपद स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल पूर्ण कर परिषद मुख्यालय को दिनांक 13 जनवरी 2014 तक अवगत करायें, जिससे कि समस्त सहकारी बैंको स्थित हितग्राहियों के खातों में मनरेगा अंतर्गत राशि इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर आर्डर के माध्यम से सीधे हस्तांतरण की जा सके।

1. ब्रांचवार/ग्राम पंचायतवार मजदूरों के खातों की सूची नरेगा पोर्टल से डाउनलोड कर सहकारी बैंक को उपलब्ध कराया जाये तथा पुराने खाते के स्थान पर नवीनतम 12 अंक के खातों की जानकारी प्राप्त की जाये। **समय–सीमा दिनांक 10 जनवरी 2014 तक**
2. **जिला** सहकारी बैंक हेतु **एक जिले का** केवल एक ही आईएफएस कोड होगा। अतः जिले के समस्त खाते धारियों के बैंक खाते 01 ही आईएफएस कोड के साथ नरेगा डाटाबेस में अद्यतन किये जायेगें।
3. **आईएफएस** कोड राज्य स्तर से अद्यतन किये जायेगे।
4. सहकारी बैंकों के समस्त पूर्व के खातों को अनफ्रीज करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी। **समय–सीमा : दिनांक 12 जनवरी 2014 तक**
5. जनपद स्तर पर नरेगा सॉफ्टवेयर में नवीन बैंक खाते अद्यतन कर सत्यापन उपरान्त फ्रीज किया जाना है। **समय–सीमा : दिनांक 13 जनवरी 2014 तक**
6. सहकारी बैंक स्थित बैंक खाते केन्द्रीय स्तर से अनफ्रीज करने की कार्यवाही से पूर्व यह आवश्यक है कि यदि सहकारी बैंक के एफटीओ तैयार होने के उपरान्त बैंक को प्रेषित करना लंबित है तो उक्त समस्त एफटीओ को तत्काल जारी कर दिया जाये।
   समय सीमा– 10 जनवरी 2014 तक
7. सहकारी बैंक के खाता धारियों के नवीन बैंक खाते आईएफएस कोड के साथ फ्रीज करने के उपरान्त सहकारी बैंक के एफटीओ जारी करते समय एफटीओ विथ आईएफएस कोड विकल्प चुना जाना आवश्यक है।
8. यदि हितग्राही के खाते सहकारी समिति में है तो उक्त खाताधारियों के लिये भुगतान व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। अर्थात् इस स्थिति में एफटीओ की राशि जिला सहकारी बैंक के माध्यम से सहकारी समिति को हस्तांतरण की जायेगी, जहां से सहकारी समिति स्थित खाताधारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

9. सहकारी संस्थाओं के खाता धारितयों के एफटीओ तैयार करते समय एफटीओ विथआउट आईएफएस कोड विकल्प का उपयोग किया जाये, जिससे पूर्व की भांति 02 एफटीओ तैयार हो सके।
10. स्हकारी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में हस्तांतरण करने के लिये विस्तृत दिशा निर्देश प्रथक से जारी किये जायेगे, जिससे कि हितग्राही के खाते में सीधे राशि हस्तांतरण की जा सके तथा सहकारी समितियों के माध्यम से केवल राशि वितरण का कार्य किया जा सके।

समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत हितग्राहियों के खाते जिला सहकारी बैंकों मे होने की स्थिति में उपरोक्त व्यवस्था हितग्राहियों की पेंशन तथा छात्रवृत्ति को सीधे हितग्राही के खाते में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण करने में लागू की जायेगी। अतः पेंशन तथा छात्रवृत्ति के हितग्राहियों के नवीनतम 12 अंकों के बैंक खाते की जानकारी संकलित कर ली जाये, जिससे समग्र सामाजिक सुरक्षा डाटाबेस में अद्यतन कर सीधे इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर की व्यवस्था की जा सके।

(डॉ अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल

पृ. क्रं/332/NR-10/NREGSMP/2013 भोपाल, दिनांक 6/01/2014

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मनरेगा, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेश शासन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सचिव, वित्त विभाग, म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त संभागयुक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक की ओर लेख है कि समस्त जिला सहकारी बैंकों को निर्देशित करें कि वह जिला पंचायतों को नवीनतम खातों की सीरीज अविलंब उपलब्ध करायें।
6. श्री उमेश कुमार, फील्ड जनरल मैनेजर, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. महाप्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया/बैंक आफ इंडिया/बैंक आफ बडोदा/यूनियन बैंक आफ इंडिया/पंजाब नेशनल बैंक की ओर प्रेषित कर लेख है कि वह आवंटित आईएफएस कोड को बैंक डाटाबेस में अद्यतन कराने का कष्ट करें।
8. श्री सुनील जैन, तकनीकी निदेशक, एनआईसी, विंध्यावल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. श्री उवैस अहमद, स्टेट नोडल अधिकारी एम.आई.एस., म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर समन्वय करने हेतु।

(अपर मुख्य सचिव)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल